तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 27/6/25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
27/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार बांदीकुई एवं पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा, दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 27/6/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

वाद संख्या– 111/2023

1. विमला देवी पत्नी स्व. श्री विजयसिंह गुर्जर
2. सियाराम पुत्र स्व. श्री विजयसिंह गुर्जर

समस्त जाति गुर्जर निवासी सुधारनपाडा तहसील बांदीकुई

–: **प्रार्थी**

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

–: **अप्रार्थीगण**

दावा उद्‌घोषणा, दुरूस्ती

दिनांक निर्णय–27.06.2025

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत् उद्‌घोषणा, दुरूस्ती प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री श्यामसुन्दर शर्मा ने दिनांक 26.07.2023 को पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सुधारनपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त स्थित खाता सं. नया 131 पुराना 126 ख नं. 1039/549 रकबा 0.15 हैक्टे. ख.नं. 1041/550 रकबा 0.12 हैक्टे. कुल किता 02 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर स्थित है एवं खाता संख्या नया 178 पुराना 184 खसरा खसरा नं. 710 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं. 711 रकबा 0.18 खसरा नं. 712 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नं. 713 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नं. 714 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नं. 716 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं. 717 रकबा 0.27 खसरा नं. 718 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नं. 729 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 731 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 734 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नं. 735 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 736 रकबा चिमला 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 737 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 738 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नं. 739 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नं. 741 रकबा 0.07 हैक्टेयर, कुल किता 17 कुल करबा 2.40 हैक्टेयर स्थित है एवं खाता सं. नया 132 पुरान 127 के आराजी खसरा नं. 554 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नं. 555 रकबा 0. 55 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर एवं खाता सं. नया 177 पुराना 183 के आराजी खसरा नं. 740 रकबा 0.10 हैक्टेयर वाके रामा सुधारनपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है जिसमें खाता सं. नया 131 में वादीगण के स्व. पिता का हिस्सा 1/2, खाता सं. 178 में वादीगण के पिता का हिस्सा 1/8 तथा खाता सं. नया 132 में वादीगण के पिता का हिस्सा 1/2 एवं खाता सं. नया 177 में वादीगण के स्व. पिता का हिस्सा 1/8 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 में दर्ज रिकार्ड है। जिसे आगे चलकर वाद पत्र में भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

भूमि मुतदाविया में वादीगण के पति एवं पिता का बोलता नाम भज्या पुत्र मेदा खातेदारी में गलत अंकित है जबकि वादीगण के स्व. पति/पिता का सही नाम विजयसिह पुत्र मेदा समस्त दस्तावेजो मृत्य प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में वादीगण के पति/पिता नाम विजयसिंह अंकित है। इसलिए उक्त भूमि मुतदाविया पैरा नं. 01 में अंकित भूमि में वादीगण के के पति/पिता का गलत नाम भज्या पुत्र मेदा दर्ज हो गया है उसको हजफ किया जाकर वादीगण के पति/पिता का सही नाम विजयसिंह पुत्र मेदा दस्तावेजातो के आधार पर खातेदारी में दुरूस्त कर दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक/भू0अ0/2023/4445 दिनांक 09.11.2023 द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में पटवारी हल्का नांगलझामरवाडा रिपोर्ट में भज्या व विजयसिंह नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया गया। जिसमें स्पष्ट तौर पर यह अंकित नही किया कि राजस्व रिकॉर्ड में भज्या पुत्र मेंदा का नाम कैसे आया। नही अन्य सहखातेदारो के फर्द मौका पर हस्ताक्षर करवायें। प्रकरण में पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई द्वारा दिनांक 07.03.2024 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मौका रिपोर्ट व पत्रावती में संलग्न दस्तावेजो के अनुसार भज्या व विजयसिंह एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्व रिकार्ड में भज्या पुत्र मेदा के स्थान पर विजयसिंह पुत्र मेदाराम किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण वास्ते साक्ष्यवादी नियत किया गया। प्रकरण में वादी की ओर से सियाराम पुत्र विजयसिंह, हरिराम पुत्र बीरबल, गिर्राज उर्फ गिरीराज पुत्र मेदा के साक्ष्यवादी शपथ पेश किये। गवाह उपस्थित हुये इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादी वकील ने पहचान की। वादी वकील द्वारा दस्तावेजात पर प्रदर्श का अंकन करवाया गया। प्रकरण वास्ते बहस नियत किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा दौराने बहस वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पति/पिता का गलत नाम भज्या पुत्र मेदा दर्ज हो गया है उसको हजफ किया जाकर वादीगण के पति/पिता का सही नाम विजयसिंह पुत्र मेदा दस्तावेजातो के आधार पर खातेदारी में दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में सलग्न दस्तावेज व तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट एवं पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार बांदीकुई एवं पैराकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट में भिन्नता होने के कारण कारण तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि आप स्वयं जॉच करे की भज्या पुत्र मेदा एवं विजयसिंह पुत्र मेदा एक ही व्यक्ति है। यदि एक ही व्यक्ति हो तो ग्राम सुधारनपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त स्थित खाता सं. नया 131 पुराना 126 ख नं. 1039/549, 1041/550 कुल किता 02 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 178 पुराना 184 खसरा खसरा नं. 710, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 729, 731, 734, 735,

736, 737, 738, 739, 741 कुल किता 17 कुल करबा 2.40 हैक्टेयर एवं खाता सं. नया 132 पुरान 127 के आराजी खसरा नं. 554, 555 कुल किता 02 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर एवं खाता सं. नया 177 पुराना 183 के आराजी खसरा नं. 740 रकबा 0.10 हैक्टेयर में वादीगण के पति/पिता का गलत नाम भज्या पुत्र मेदा के स्थान पर वादीगण के पति/पिता का सही नाम विजयसिंह पुत्र मेदा दस्तावेजातो के आधार पर खातेदारी में दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

27/6/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner